

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 48/2016

पंचायत समिति मसूदा जिला अजमेर जरिये श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा, ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत जालिया।।, पंचायत समिति मसूदा (अजमेर)

.....निगरानीकार/प्रार्थी

बनाम

1. श्री नरेन्द्र कुमार कलावत पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी ग्राम जालिया।। पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर।
2. श्री पन्ना लाल धोबी, वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत जालिया ।। पंचायत समिति मसूदा (अजमेर)।
3. श्री बिरदीचंद शर्मा, पूर्व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम जालिया।। पंचायत समिति मसूदा (अजमेर), हाल - ग्राम पंचायत लोडियाना, पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97

राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994

उपस्थित :-

1. श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकार की ओर से।
2. श्री महेश शर्मा, वकील अप्रार्थीगण की ओर से।

—: आदेश :-

दिनांक 28.06.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत निगरानी पेश हुई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत जालिया द्वितीय एवं तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम जालिया द्वितीय द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार कलावत पुत्र श्री रामचन्द्र निवासी ग्राम जालिया द्वितीय पंचायत समिति मसूदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बाद विधिवत जांच के संकल्प संख्या 5 दिनांक 05.08.2013 की अनुपालना में दिनांक 05.08.2013 को ग्राम जालिया द्वितीय स्थित खसरा नम्बर 4349 में आवासीय पट्टा संख्या 3 दिनांक 05.08.2013 जारी कर दिया। निगरानीकार द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा संख्या 3 को विभिन्न कारणों से विधि विरुद्ध बताते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये व अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाने हेतु मांग पत्र जारी किया गया। अधिनस्थ न्यायालय एवं उनके अभिभाषक को वांछित रेकार्ड पेश करने हेतु समुचित अवसर दिया गया, किन्तु उन्होंने वांछित रेकार्ड पेश नहीं किया। वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि मूल रेकार्ड के अभाव में जवाब नोटिस पेश किया जाना संभव नहीं है। अतः पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।



अपर कलक्टर
अजमेर

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्राविधित प्रावधानों के विपरीत जाकर आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा ग्राम जालिया द्वितीय स्थित खसरा नम्बर 4349 में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया गया है जबकि विवादित भूमि आबादी में दर्ज नहीं होकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय पट्टा जारी करने से पूर्व राजकीय भूमि/सिवायचक होने के प्रमाणस्वरूप पट्टवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। उन्होंने आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अपने परिचित अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है जिसकी शिकायत होने पर पंचायत समिति मसूदा जिला अजमेर के पंचायत प्रसार अधिकारी एवं रागिति द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 02.01.2014 के आधार पर एवं जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति अजमेर के प्रकरण संख्या 19/2014 में दिनांक 27.06.2014 को दिये निर्देशों की अनुपालना में आक्षेपीय पट्टा निरस्त करवाने हेतु निगरानी याचिका पेश की गई है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी आक्षेपीय पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि निगरानीकार द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित सगस्त कथन गलत एवं बेबुनियाद है। निगरानी में वर्तमान ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत जालिया द्वितीय को पक्षकार ही नहीं बनयाय गया है। उनका कथन है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 4349 जमाबन्दी संवत् 2041 एवं इसके बाद बनी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2042-2045 व 2046-2049 के खाता संख्या 1 में मिलिकियत सरकार के नाम से दर्ज चली आ रही थी, इसके पश्चात् उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा वर्ष 1989 में खसरा नम्बर 4349 मिन रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 4351 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम पंचायत जालिया द्वितीय को आबादी हेतु दे दी गई। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद भी कर दिया गया किन्तु पश्चातवर्ती जमाबन्दियों में सिवायचक दर्ज कर दी गई, तत्पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रकरण संख्या 13/2014 प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा वाद विधिवत सुनवाई के अपने आदेश दिनांक 01.06.2016 से विवादित भूमि ग्राम पंचायत की आबादी में दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1175 दिनांक 04.10.2016 से इन्द्राज दुरुस्ती कर खसरा नम्बर 5349/1 के स्थान पर 4349 का अंकन स्वीकार किया गया। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में विवादित भूमि आबादी दर्ज है। वर्तमान में विवादित भूमि आबादी दर्ज है। निगरानीकार द्वारा उपखण्ड अधिकारी मसूदा के उक्त आदेश को न तो किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है न ही किसी न्यायालय से स्थगन जारी है। उक्त प्रकरण में निगरानीकार स्वयं पक्षकार होने से न्यायालय के उपरोक्त आदेश की जानकारी निगरानीकार को प्रारंभ से ही रही है। वकील अप्रार्थीगण ने अन्त में कथन किया कि आक्षेपीय पट्टे पर अप्रार्थी संख्या 1 का मालिकाना हक है अतः निगरानी याचिका निरस्त की जावे।




Handwritten signature and stamp of the District Collector, Ajmer. The text includes 'जिला कलेक्टर' (District Collector) and 'अजमेर' (Ajmer).

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि उपखण्ड अधिकारी ब्यावर द्वारा ग्राम पंचायत जालिया द्वितीय के पक्ष में आबादी विस्तार हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दी गई थी, किन्तु सहवन से पश्चातवर्ती जमाबन्दी में खसरा नम्बर 4349 के स्थान पर 5349/1 अंकित हो जाने के पश्चात् उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.06.2016 से इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड में पुनः 4349 का अंकन करने हेतु आदेशित किये जाने के फलस्वरूप आदेश की पालना में तहसीलदार विजयनगर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1175 दिनांक 04.10.2016 से दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072-76 में विवादित खसरा नम्बर आबादी में दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बेबुनियाद होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 28.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।


(किशोर कुमार)
अपर कलेक्टर, अजमेर